न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 82/2022 निर्णय दिनांकः 13.02.2023

ऑनलाईन नंबर 2022/177

रावतराम पुत्र मोड़ूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसार चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़।

बनाम

1. मोड़ूराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सुखदेव पुत्र मोड़ूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. विजयपाल पुत्र मोड़ूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।

(मुख्य प्रतिवादीगण)

5. अमरी पुत्री मोड़ूराम (पत्नी सूरजाराम) जाति मेघवाल निवासी ग्राम समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

(गौण प्रतिवादी)

उपस्थितिः—

1. श्री नारायण पंवार अभिभाषक वादी
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 5

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के दादा मघा वल्द किशना की खातेदारी के खेत खसरा नम्ब्र 85 तादादी 17 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 414 तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 511 तादादी 23 बीघा 4 बिस्वा वाकेरोही ग्राम धीरदेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। वादी के दादा मघा की मृत्यु के बाद उक्त खसरान भूमि की खातेदारी उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 मोड़ूराम व जोरा, सांवता पिसरान मघा के नाम विरास्तन दर्ज हो गई। यह है कि वादी के दादा मघा व भोजा पिसरान किशना की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 311 तादादी 32 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 तादादी 18 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही धीरदेसर चोटियान में स्थित रहे है। वादी के दादा मघा की मृत्युपरांत उपर्युक्त खसरान भूमि में उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 मोड़ूराम व जोरा, सांवता पिसरान मघा के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी व 1/2 हिस्सा की खातेदारी भोजना वल्द किशना के नाम दर्ज हुई, फिर भोजा वल्द किशना व मोड़ू, जोरा, सांवता ने उपर्युक्त खसरान भूमि का आपस में विभाजन करवा लिया जिस पर खसरा नम्बर 311 मीन तादादी 16 बीघा 3 बिस्वा की भूमि मोड़ू, जोरा व सांवता के हिस्से पांति में रखी गई जिसके नये खसरा नम्बर 699/311 कायम हुए व शेष खसरा नम्बर 311 मीन की 16 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 की सम्पूर्ण 18 बीघा 15 बिस्वा की भूमि उक्त भोजा वल्द किशना के हिस्से पांति में रखी गई [illegible] नम्बर 415 तादादी 42 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही धीरदेसर चोटियान की [illegible], कानाराम, गोधूराम, दूलाराम पुत्रगण भोजाराम जाति मेघवाल के नाम से रही है [illegible] खसरा भूमि को वादी की दादी नोरांदेवी पत्नी मघाराम मेघवाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.0?.1997 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खरीद कर लिया जिस पर उक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी की दादी नोरांदेवी पत्नी मघाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। खसरा नम्बर 415 की भूमि में ट्यूब वैल बनाने पर खसरा नम्बर 415 के नये खसरा नम्बर 415 मीन तादादी 01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 415 मीन तादादी 10.80 हैक्टेयर कायम हुए फिर कालान्तर में खसरा नम्बर 415 मीन तादादी 01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 415 मीन तादादी 10.80 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 590 कायम हो गये। यह है कि कालान्तर में प्रतिवादी सं. 1 व जोराराम, सांवताराम ने खेत खसरा नम्बर 85 तादादी 17 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 4141 तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 511 तादादी 23 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 699/311 वाकेरोही धीरदेसर चोटियान का आपस में विभाजन करवा लिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 414, तादादी 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 511 तादादी 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि हिस्से पांति में आई। खसरा नम्बर 85 सम्पूर्ण 17 बीघा 17 बिस्वा जोराराम के हिस्से में व खसरा नम्बर 699/311 तादादी 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि सांवताराम के हिस्से पांति में रखी गई। वादी की दादी नोरांदेवी ने अपनी खरीद शुदा भूमि खसरा नम्बर 589 तादादी 01 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 590 तादादी 10.80 हैक्टेयर में से 1.5174 हैक्टेयर भूमि की वसीयत अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 मोडूराम के पक्ष में अपने जीवनकाल में कर दी। कालान्तर में खसरा नम्बर 590 के नये खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर चले आ रहे है व खसरा नम्बर 589 पूर्ववत चला आ रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 414 के वर्तमान खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 511 के नये खसरा नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 590 के नये खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर कायम हो गये है व खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर (गै.मु.कुआ) के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 के कुल 3 पुत्र संतान वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 व एक पुत्री अमरी गौण प्रतिवादी हुए हैं। यह है कि वर्तमान में वादगत खेतों की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। वादगत खेत वादी के पूर्वज दादा मघा व दादी नोरांदेवी की खातेदारी के खेत रहे है इसलिए वादी का वादगत खेतों में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादगत खेतों में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का 3/5 हिस्सा व गौण प्रतिवादी सं. 5 का 1/5 हिस्सा निहित है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 वादगत खेतों को काश्त नहीं करते है। प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पूर्णतया प्रभाव में आकर वादी के हक हिस्सा की भूमि को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने की फिराक व कोशिश में है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने 1/5 हिस्सा से ज्यादा भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कतई कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के हक हिस्सा की भूमि को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल कर वादी को उसके पैतृक खातेदारी अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है। यह है कि वादगत खेत वादी की पैतृक व अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादगत खेतों में वादी का 1/5 हिस्सा पैतृक तौर पर कानूनन बनता है। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के [illegible] एकराय होकर वादी को दिनांक 07.02.2022 को एलानियां तौर पर धमकी [illegible] कि [illegible]दगत खेतों की भूमि में तुम्हें कोई हक हिस्सा नहीं देंगे व अब [illegible] ही किसी खेत [illegible] काश्त करने देंगे तथा तुम्हें वादगत खेतों से बेदखल कर देंगे [illegible] वादी [illegible]त खेतों में हिन्दू उतराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]धिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बी[illegible]र)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपने हिस्से पांति के हिसाब अपने 1/5 हिस्सा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 10.02.2022 को दावा प्रस्तुत किया था। दावा प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी मोडूराम ने वादी को वादगत खेतों में 10 बीघा भूमि देने का लिखित आश्वासन दिया था जिस पर वादी ने उपर्युक्त अनुवानी दावा को विड्रो कर लिया। दावा विड्रो करते ही प्रतिवादी फिर अपने लिखित कथन से दिनांक 13.06.2022 को मुकर गया व कहा कि मैं कोई जमीन नही दूंगा, मैंने तो खसरा नम्बर 588 व 723 की भूमि का पहले से ही उपहार पत्र मेरे पोते जयप्रकाश व तुलछी पत्नी के पक्ष में कर रखा है जिसका मुझे नामान्तरण दर्ज करवाना है इसलिए मैनें उक्त लिखित आश्वासन दिया था, अब मैं कोई जमीन नही दूंगा व शेष खसरान की भूमि को अतिशीघ्र ही हस्तान्तरण करूंगा। वादगत पैतृक सम्पति के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सम्पादित दस्तावेज उपहार पत्र भी शुरू से ही वादी के अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। यह है कि प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के पूर्ण प्रभाव में आकर वादी के अधिकारों की हिस्सा की भूमि को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने पर आमादा हो रहे हैं। वादगत खेतों में वादी अपने 1/5 हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी के पास जीवन निर्वाह के लिए वादगत खेतों के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। वादगत खेत वादी के दादा मघा व दादी नोरांदेवी की खातेदारी के खेत रहे है। वादी मघा व नोरांदेवी का पौत्र है। वादी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार है इसलिए वादी वादगत खेतों में अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खेतों में अपने नाम से दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादी को हर तरह से बेदखल करने व वादगत खेतों को विक्रय, हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 ने भी प्रतिवादी सं. 1 के साथ मिलकर वादी को पहले धमकी दी थी कि हम वादगत खेत में अच्छी से अच्छी किश्म को विक्रय, हस्तान्तरण करेंगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को वादगत खेत में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करने व वादी को बेदखल नहीं करने का निवेदन दिनांक 07.02.2022 को किया था तो प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां तौर पर धमकी दी कि हम तुमको यहां से निकाल कर ही दम लेंगे तो वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी सं. 1 के लिखित आश्वासन पर उक्त दावा विड्रो कर लिया गया। दावा विड्रो करने पर प्रतिवादीगण और सक्रिय हो गये व अब आनन फानन में वादगत पैतृक सम्पति को खुर्द बुर्द करने व अन्य किसी को विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है व दिनांक 13.06.2022 को धमकी भी दे चुके है, ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध तुरन्त ही दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण वादी को वादगत खेतों से बेदखल करने व उनके हक व हिस्सा से वंचित करने व वादगत खेतों को गलत रूप से विक्रय, रहन, बैय करके वादी का वादगत खेतों से कब्जा छुड़ाने की धमकी दे रहे हैं। वादगत खेत वादी की पैतृक कृषि भूमि होने से वादी को वादाधार व फिर से दिनांक 13.06.2022 [illegible] से वाद हेतु प्राप्त है। यह है कि वादी ने उक्त दावा में घोषणात्मक, वि[illegible] व [illegible]रनिषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। घोषणात्मक अनुतोष के दावा में स्टेट ऑफ राजस्थान [illegible] जाब्ता दीवानी की धारा 80 सी. पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु [illegible] दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

होने के कारण मान्य न्यायालय को धारा 80 (2) के नोटिस की छूट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से उक्त दावा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। दावा अन्दर मियाद, पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री आज्ञाप्त फरमाई जावे :–

(क) कि वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी पैतृक सम्पति के आधार पर घोषित की जावे।

(ख) कि वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में 1/5 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड व अक्स में तरमीम की जावे व लगान जुदा जुदा कायम किया जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरिनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ से वादी को बेदखल नहीं करें, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं करें तथा प्रतिवादी सं. 4 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेतों के सम्बन्ध में प्रस्तुत होने वाले किसी भी लेख्य पत्र को तस्दीक नहीं करें ना ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई भी कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें न किसी से करवावे जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाब दावा पेश किया। गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

नि[illegible]

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, [illegible] नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर [illegible] खसरा नम्बर 1420/590 तादादी

उप[illegible] अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

1.5174 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/5 प्रत्येक को ब.हि.ब. हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

रावतराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसार चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़।

बनाम

1. मोडूराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सुखदेव पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. विजयपाल पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

4.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5.अमरी पुत्री मोडूराम (पत्नी सूरजाराम) जाति मेघवाल निवासी ग्राम समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, विभाजन
मुकदमा नम्बर 82/2022
निर्णय दिनांक: 13.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से नारायण पंवार एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से कैलाश सारस्वत मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 588 तादादी 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 तादादी 5.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1420/590 तादादी 1.5174 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/5 प्रत्येक को ब.हि.ब. हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0.......... फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 13 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.24 13:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)